

**न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा**  
**पीठासीन अधिकारी -- मोहम्मद ताहिर, आर०ए०एस०**

प्रकरण संख्या : 38 / 15

- 1 अब्दुल सलाम आत्मज स्व. श्री मामराज, जाति मुसलमान
- 2 अब्दुल निजाम आत्मज स्व. श्री मामराज, जाति मुसलमान  
निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

— (वादीगण)

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार, जरिये, तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

— (प्रतिवादी)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट**

उपस्थिति : श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक वादीगण

दिनांक : 27.10.2020

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थीगण द्वारा अपना प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :-
  - प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1940 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 1941 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 2060 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 2061 रकबा 0.21 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत काश्तकार 30--35 वर्षों से निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं और उक्त तथ्य की जानकारी प्रतिपक्षी को प्रारम्भ से ही है और आज भी प्रार्थीगण पूर्ववत उक्त आराजी पर काबिज काश्त है।
  - प्रार्थी क्रम-1 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1933 रकबा 0.63 हैक्टर एवं प्रार्थी क्रम-2 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1934/2272 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1937 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1938 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1906 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1942/2266 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902/2218 रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत काश्तकार 30--35 वर्षों से निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं और उक्त तथ्य की जानकारी प्रतिपक्षी को प्रारम्भ से ही है और आज भी प्रार्थीगण पूर्ववत उक्त आराजी पर काबिज काश्त है।
  - प्रार्थीगण के पिता स्व. मामराज आत्मज दिलावर खों, जाति मुसलमान के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1223 रकबा 44 बीघा वाके ग्राम कैथून, जिला कोटा में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का करीब 60--70 वर्षों से कब्जा चला आ रहा था। उक्त खसरा नम्बर 1223 की 44 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीगण के पिता को पूर्व में ही किया जा चुका है। सेटलमेन्ट के उपरान्त उक्त खसरा नम्बर 1223 के नयेखसरा नम्बर 1937, 1938, 1940, 1941 व अन्य कायम किये गये हैं जिन पर वर्तमान में प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है।

सहायक कलक्टर  
(मुख्यालय) कोटा

1.-Abdul Salam v/s Satka

- प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है और उसके पास अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी नहीं है और वह भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आते हैं और प्रारम्भ से ही उक्त आराजी में काबिज काश्त होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें 30 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है और गत 30 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करने के आधार पर प्रार्थीगण उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।
- प्रार्थीगण उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज होने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रतिपक्षी की जानकारी में निरन्तर काबिज होने के आधार पर प्रार्थीना पत्र की मद में अंकित आराजी को सिवायचक से हटाकर अपने खाते दर्ज करवाने एवं इन्द्राज दुरुस्ती करवाने के अधिकारी है।
- प्रार्थीगण गत 30-35 वर्षों से उक्त भूमि का लगान राज आदि अदा करते आ रहे हैं और प्रार्थीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस भी लगातार प्राप्त हो रहे हैं जिनका प्रार्थीगण जुर्माना भी जमा करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण को उक्त आराजी से राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में कभी भी बेदखल नहीं किया गया है और न ही कोई बेदखली का नोटिस ही प्रार्थीगण को दिया गया है। इस कारण प्रार्थीगण के पुराने कब्जे की पुष्टि हो जाती है और पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।
- प्रार्थीगण ने राजस्व अभियान के दौरान प्रार्थीगण के सम्बन्धित अधिकारियों से आराजी के नियमन और आवंटन हेतु पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किये हुये हैं जिन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब प्रतिपक्षी के अधिकारी मनमाने तौर पर प्रार्थीगण को उसकी कब्जेशुदा भूमि से वंचित करते हुये उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं को आवंटन व नियमन करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
- प्रार्थीगण ने दिनांक 01.06.2015 को तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा और आवंटन अधिकारी के यहाँ प्रार्थीना पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटन व नियमन करने का निवेदन करते हुये खातेदारी अधिकार दिये जाने का निवेदन किया किन्तु प्रतिपक्षी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया साथ ही प्रार्थीगण को शीघ्र ही आराजी से बेदखल कर उक्त भूमि अन्य व्यक्ति व संस्था को आवंटन करने की धमकी दी और प्रार्थीगण की किसी प्रकार की कोई बात मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।
- यदि प्रतिपक्षी अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अकारण ही अपनी कब्जेशुदा भूमि से अकारण वंचित होना पड़ेगा, जिससे प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा और उन्हें अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसा जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी और अनेकानेक विवाद पैदा होंगे तथा प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थीना पत्र पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा।
- प्रार्थीगण का प्रथमदृष्ट्या केस है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।
- अतः प्रार्थीना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रतिपक्षी के विरुद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय की पारित की जावे कि प्रार्थीना पत्र की मद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1940, 1941, 2060, 2061, 1933, 1934/2272, 1937, 1938, 1906, 1942/2266, 1902/2218 वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर प्रार्थीगण के निरन्तर चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे में प्रतिपक्षी किसी भी

सहायक कलेक्टर  
(मुख्यालय) कोटा

प्रकार से कोई बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं करे और ना ही मजाहमत व मदालखत करे और ना ही उक्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को प्रार्थीगण के अलावा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को नियमन व आवंटित करे और ना ही प्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करे। ऐसा कार्य प्रतिपक्षी न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि अथवा एजेन्ट से ही करावे।

3. प्रकरण में यद्यपि प्रतिपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ तथापि जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी पर वादीगण से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही जैरकार है।
4. वादी अभिभाषक ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है और उसके पास अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी नहीं है। विवादित आराजी पर वादीगण का अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त है। अतः मूल वाद का निस्तारण होने तक अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।
5. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर, बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अपने लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रकरण का वाद पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये जुर्माना रशीदों, नोटिस धारा 91, खसरा गिरदावरी की प्रतियों से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा रहा है जो जवाब दावा के कथनों से भी स्पष्ट है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम पाते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर परिलाभ प्राप्त करना चाहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपना वाद मय प्रार्थना पत्र पेश करने का लम्बा समय था फिर भी उसकी ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपरिमित क्षति होना उल्लेखित किया है जिसे सम्बन्ध में स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी राजकीय खाता दर्ज है अर्थात् प्रार्थीगण का विवादित आराजी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का स्वामित्व नहीं होने तथा बेदखल कर देने से प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपरिमित क्षति होना संभावित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपना पूर्ण कब्जा सिद्ध करने सम्बन्ध दस्तावेज आदि भी पेश नहीं किये गये हैं। जिससे सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।
6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(मोहम्मद ताहिर) R.A.S.  
सहायक कलेक्टर,  
(मुख्यालय) कलेक्टर